राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप 6) विभाग

क्रम [illegible]29(35)राज.6/2011/12 [illegible]

1. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
2. आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर।

परिपत्र

राज्य मे मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास [illegible] एवं इन्दिरा आवास योजना जारी की जा रही है इस संबंध मे मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 20-7-11 को उक्त योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों/भूखण्डों के पट्टों के संबंध में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध आयोजित बैठक मे लिये गये निर्णयानुसार निर्देशानुसार लेख है कि राजस्व विभाग के प्रचलित नियमो के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही करावें:-

1. जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नही है उन पंचायत क्षेत्रों मे उपलब्ध सिवाय चक अन्य उपयोग की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्राम पंचायतो को उपलब्ध करवायी जावे एवं जिन पंचायत क्षेत्रों मे सिवाय चक भूमि के रूप में केवल चारागाह की भूमि ही उपलब्ध है वहा पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार भूमि को आबादी भूमि मे रूपांतरित कर ग्राम पंचायतो को उपलब्ध करवायी जावें।
2. जिन पंचायत क्षेत्रों में सिवाय चक भूमि पर बिखरे/छितरे हुये अतिक्रमण के रूप मे कब्जे है उनके संबंध मे अलग-अलग कब्जों का नियमन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार के नियमन से शेष भूमि अनुपयोगी हो जायेगी तथा बिखरे/छितरे हुये भूखण्डों पर बिजली, पानी एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध करावायें जाने में भी कठिनाई होगी अतः उक्त कब्जाधारियों के लिए अतिक्रमित भूमि को खाली करने की शर्त पर सिवाय चक भूमि में एक साथ एक स्थान पर आंवटन/नियमन की कार्यवाही करावें।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य मंत्री।
4. उप शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग।

उप शासन सचिव